

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/विज्ञप्ति

पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत हिन्दी
आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा की प्रक्रिया

संख्या: पीआरपीबी-बी(लिपिक संवर्ग)-21/2025

दिनांक: जनवरी, 29, 2026

उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की विज्ञप्ति संख्या-पीआरपीबी-चार-1-3-(लि0सं0)/2023 दिनांक 28-12-2023 को प्रख्यापित की गयी है। यह भर्ती उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथासंशोधित) के अधीन सम्पन्न की जा रही है, जिसमें पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के पद के लिए हिन्दी आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा हेतु निम्नवत प्रावधान है:-

- ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के पद हेतु आवेदन किया गया है और कम्प्यूटर टंकण में उत्तीर्ण होते हैं, आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे।
- आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी।
- परीक्षा की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार है:-

2- आशुलिपि परीक्षा की प्रक्रिया-

- हिन्दी आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा की गति 80 शब्द प्रति मिनट की है, जिसमें 05 मिनट में कुल 400 शब्दों का डिक्टेसन दिया जायेगा।
- अभ्यास के लिये अभ्यर्थियों को पहले दो-दो मिनट की अवधि के दो परीक्षण अंश डिक्टेड किये जायेंगे जिन्हे लिखना अनिवार्य नहीं है।
- इसके उपरान्त आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा के लिये 05 मिनट का डिक्टेसन दिया जायेगा। अभ्यर्थी डिक्टेसन को उपलब्ध करायी गयी शार्ट हैण्ड नोटबुक में हिन्दी आशुलिपि में अंकित करेंगे।
- डिक्टेसन के उपरान्त अभ्यर्थी को 40 मिनट का समय दिया जायेगा। इस अवधि में अभ्यर्थी हिन्दी आशुलिपि में अंकित लेख की समीक्षा करेगा एवं हिन्दी आशुलिपि में अंकित श्रुतलेख को हिन्दी में टंकण (ट्रांसक्रिप्शन) करेगा।
- हिन्दी टंकण यूनिकोड इन्स्क्रिप्ट की-बोर्ड पर आधारित होगा।

- आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त अभ्यर्थी शार्टहैण्ड नोटबुक में अपना नाम व रोल नम्बर लिख कर अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा उसे कक्ष निरीक्षक को सौंप देंगे।
- शार्ट हैण्ड नोट बुक में हिन्दी आशुलिपि में अंकित लेख की जाँच की जायेगी किन्तु उसे मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। टंकण(ट्रांसक्रिप्शन) का ही मूल्यांकन होगा।
- उक्त परीक्षा में ट्रांसक्रिप्शन किये गये शब्दों की 15 प्रतिशत तक की त्रुटि अनुमन्य होगी। 15 प्रतिशत से अधिक त्रुटि करने वाले अभ्यर्थी असफल माने जायेंगे।
- परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा।
- हिन्दी आशुलिपि श्रुतलेख के लिए परीक्षा केन्द्र/स्थान पर बोर्ड अथवा प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा शार्ट हैण्ड नोटबुक प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को स्वयं की शार्ट हैण्ड नोटबुक लाने की अनुमति नहीं होगी।
- आशुलिपि श्रुतलेख के उपरान्त टंकण (ट्रांसक्रिप्शन) के लिये परीक्षा केन्द्र/स्थान पर प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा कम्प्यूटर प्रदान किया जायेगा। अभ्यर्थियों को स्वयं का की-बोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी।
- किसी भी अभ्यर्थी को आशुलिपि श्रुतलेख के उपरान्त उसकी टंकण (ट्रांसक्रिप्शन) परीक्षा में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

3- टंकण किये गये ट्रांसक्रिप्शन का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जायेगा:-

(1) पूर्ण गलतियाँ:-

- (क) प्रत्येक शब्द या अंक का लोप यदि शब्दों का समूह लोप किया जाता है, तो लोप किए गए शब्दों की वास्तविक संख्या के बराबर गलतियाँ गिनी जाएंगी।
- (ख) गलत शब्द या अंक का प्रत्येक प्रतिस्थापन। यदि कोई अंक सही ढंग से लिखा गया है, चाहे वह अंक में हो या शब्दों में, तो उसे स्वीकार्य माना जाएगा और गलती नहीं माना जाएगा। गलतियों की संख्या, उम्मीदवार द्वारा न लिखे गए बोले गए शब्दों की संख्या और गलत तरीके से प्रतिस्थापित किए गए शब्दों की संख्या के बराबर होगी।
- (ग) किसी भी ऐसे शब्द, अंक या प्रतीक का जोड़ना जो निर्देशित अंश में मौजूद नहीं है।
- (घ) शब्द की पुनरावृत्ति के लिए, उदाहरण के लिए, 'मैं आभारी रहूंगा, रहूंगा।
- (ङ) प्रत्येक अपूर्ण शब्द(शब्दों) के लिए।
- (च) अनुच्छेद के सभी बचे हुए अटंकित शब्द।
- (छ) उम्मीदवारों को बोले गए शब्दों को हूबहू टाइप करना होगा। विस्तारित शब्दों के लिए प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों को पूर्ण त्रुटि माना जाएगा, और इसके विपरीत भी।

(2) आधी गलतियाँ:

- (क) गलत वर्तनी।

(ख) बहुवचन संज्ञा के लिए एकवचन का प्रयोग करना और इसके विपरीत ।

● (ग) वाक्य के अंत में प्रत्येक पूर्ण विराम का लोप, या वाक्य में गलत स्थान पर पूर्ण विराम का प्रयोग, आधी गलती माना जाएगा।

टिप्पणी:

(क) कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें एक से अधिक रूपों में लिखा जा सकता है। ऐसे सभी वर्तनी/रूप स्वीकार्य होंगे और उन्हें त्रुटि नहीं माना जाएगा। सही माना जाएगा।

(ख) आशुलिपि कौशल परीक्षण में त्रुटियों की गणना की विधि:

$$\text{त्रुटियों का प्रतिशत} = \frac{(\text{पूर्ण त्रुटियाँ} + \text{आधी त्रुटियाँ} / 2) \times 100}{\text{दिए गए गद्यांश के कुल शब्दों की संख्या}}$$

प्रतिशत त्रुटियों की गणना के लिए दिए गए गद्यांश में शब्दों की संख्या निम्नानुसार होगी:-

(i) 400 शब्द 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट में।

प्रतिशत को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, 5.009 को 5.01 और 5.001 को 5.00 माना जाएगा।

4- यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है। अतः जो सूचनायें इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

29/1/22

पुलिस उपमहानिरीक्षक/अपर सचिव भर्ती,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।